सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00040

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 19/2019

1. पृथ्वीराम
2. बालूराम
3. कृष्णलाल

पुत्र जीवनराम पुत्र गणेशा राम जाति बांवरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. सोना देवी
5. रेशमा देवी

पुत्रियां जीवनराम पुत्र गणेशाराम जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. रेशमा पुत्री मामराज धर्मपत्नी मुन्शीराम जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रामलाल पुत्र ईशरराम माता पन्नादेवी जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्णलाल पुत्र ईशरराम माता पन्नादेवी जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. पूर्णराम पुत्र ईशरराम माता पन्नादेवी जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. रामप्रताप पुत्र कानाराम माता जीवणी जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. कृष्णलाल पुत्र कानाराम माता जीवणी जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. गोपीराम पुत्र कानाराम माता जीवणी जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. बंशीलाल माता भागी देवी पुत्र हरीराम जाति बांवरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. लालीदेवी पुत्री जीवनराम पत्नी मुखराम जाति बावंरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

"अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 777 स्वीकृत दिनांक 18.03.2019 तहसीलदार श्रीगंगानगर"

उपस्थित :

1.श्री काशीराम रिणंवा अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश ::

दिनांक :– 1.08.2019

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्तकाल अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, तथ्यों के विपरीत, विधि विरूद्व व बिना आधार पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आप को मामराज पुत्र कुम्भाराम की पुत्री बताते हुए मामराज को आवंटित कृषि भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वाके चक 2 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 1,8,12,41 व 42 की 4.692 हैक्टेयर एतद्द्वारा 16.11 बीघा भूमि भारत पाक विभाजन पर बतौर नॉन कलेमेन्ट आवंटन की गई होना ब्यान करते हुए व उसमें कथित वसीयत के आधार पर अपना 4 बीघा भूमि को अपनी घोषित करवाने हेतु और शेष भूमि में अपना 1/3 हिस्सा घोषित करवाने का अनुतोष मांगा इस शेष भूमि में अपनी माता का हिस्सा होना व माता की मृत्यु होने पर उसमें अपना हिस्सा घोषित करवाने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपरोक्त हेतु दो दावे वाद संख्या 68/13 व 341/13 प्रस्तुत किये गये थे जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समेकित कर दिये गये थे। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट के वाद के तथ्यों से इन्कार कर वादग्रस्त भूमि की सनद अपीलांट को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाना बताया व वाद खारिज करने का निवेदन किया। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद निम्न प्रकार से डिक्री कर दिया –

'' अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा कूटरचित अभिलेखों के आधार पर प्रकरण संख्या 274/1987 में पारित आदेश दिनांक 29.06.1987 एवं उसके परिदृश्य जारी सनद वादिया के पैतृक अधिकारों पर निष्प्रभावी घोषित किया जाता है तथा वादिया , श्रीमती पन्नादेवी के वारिसान, श्रीमती जीवनी के वारिसान एवं श्रीमती भागादेवी के वारिसान को उनकी पैतृक चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/21 मुरब्बा नम्बर 1 (1.163) हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 8 (0.986) हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 12 (1.239) हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 41 (0.822) हैक्टेयर एवं मुरब्बा नम्बर 42 (0.480) हैक्टेयर कुल 4.692 हैक्टेयर एतद्द्वारा 18.11 बीघा नहरी बारानी कृषि भूमि का समान अनुपात में अर्थात 1/4 हिस्सा कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी घोषित किया जाता है, दोनो वादपत्रों का निस्तारण किया जाता है। वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें, यथा डिक्री जारी हो'' रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इस निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2019 के आधार पर इजराय प्रस्तुत कर दी।

रेस्पोडेन्ट ने सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2019 की पालना करवाने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया और इजराय की पालना में डिक्री न्यायालय द्वारा डिक्री की पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पत्र प्रेषित किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक न्यायालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री से बाहर जाकर अपीलाधीन इन्तकाल से अपीलांट का नाम विधि विरूद्व से हटाकर रेस्पोडेन्ट के नाम इन्तकाल स्वीकृत कर दिया था, जबकि निर्णय व डिक्री में अपीलांट का नाम हटाने व रेस्पोडेन्ट के नाम भूमि दर्ज करने का कोई आदेश नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इजराय प्रार्थना पत्र में केवल वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाने का ही अनुतोष चाहा था और अधीनस्थ न्यायालय डिक्री की पालना में अपील के समय के बाद केवल वादग्रस्त भूमि का कब्जा ही रेस्पोडेन्ट को दिला सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री में पारित आदेश व इजराय में चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2019 की पालना निर्णय व डिक्री से बाहर जाकर अपील के समय के लम्बन काल में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के दिन अपीलांट की अपील न्यायालय में जेरकार थी ।

प्रमाणित

अधीनस्थ न्यायालय अपील के जेरकार होने के बिन्दु पर भी निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल स्वीकृत करने की प्रथम 45 दिवस में इन्तकाल स्वीकृत करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को प्रत्याहरित की जा चुकी है। अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत द्वारा पारित न कर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इन्तकाल से अपीलाधीन भूमि रेशमा,पन्नादेवी, जीवनी व भागादेवी के नाम दर्ज की है। सहायक न्यायालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में केवल रेशमा ने ही वाद दायर किया था, पन्ना,जीवनी, भागादेवी ने कभी भूमि की मांग नहीं की थी। द्वितीय पन्ना, जीवनी व भागोदेवी का देहान्त बहुत पहले ही हो चुका था। आदेश अधीनस्थ न्यायालय से मृत व्यक्ति के नाम से भूमि दर्ज की है। कानूनन मृत व्यक्ति के नाम इन्तकाल नहीं हो सकता है, जो बिना आधार व मृत व्यक्ति के नाम दर्ज किया है से भी इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार जीवनराम का भी देहान्त हो चुका है और इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। आदेश अधीनस्थ न्यायालय हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। पन्नादेवी, जीवनी व भागी का देहान्त हो चुका है और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 मृत के वारिसान है, इसलिए इन्हें रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काबिज है और केवल सहायक न्यायालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने अपीलांट को बेदखल करने की डिक्री पारित की है। रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। इन्तकाल इजराय में चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर विधि विरूद्व स्वीकृत किया है। अपील अपीलांट माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है। लालीदेवी अपीलांट की बहन है और अपीलांट के साथ ही है, परन्तु लालीदेवी के आज उपस्थित नहीं होने की वजह से रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एसडीओ के आदेश दिनांक 19.02.2019 की पालना में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जिसकी अपील आरएए श्रीगंगानगर के दायर की गई। अपील के पेन्डिग के दौरान इन्तकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया, जो कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक न्यायालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री से बाहर जाकर अपीलाधीन इन्तकाल से अपीलांट का नाम विधि विरूद्व से हटाकर रेस्पोडेन्ट के नाम इन्तकाल स्वीकृत कर दिया था, जबकि निर्णय व डिक्री में अपीलांट का नाम हटाने व रेस्पोडेन्ट के नाम भूमि दर्ज करने का कोई आदेश नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय डिक्री की पालना में अपील के समय के बाद केवल वादग्रस्त भूमि का कब्जा ही रेस्पोडेन्ट को दिला सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री में पारित आदेश व इजराय में चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इन्तकाल से अपीलाधीन भूमि रेशमा,पन्नादेवी, जीवनी व भागादेवी के नाम दर्ज की है। सहायक न्यायालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में केवल रेशमा ने ही वाद दायर किया था। पन्ना,जीवनी, भागादेवी ने कभी भूमि की

प्रमाणित

मांग नहीं की थी। द्वितीय पन्ना, जीवनी व भागोदेवी का देहान्त बहुत पहले ही हो चुका था। आदेश अधीनस्थ न्यायालय से मृत व्यक्ति के नाम से भूमि दर्ज की है। कानूनन मृत व्यक्ति के नाम इन्तकाल नहीं हो सकता है, जो बिना आधार व मृत व्यक्ति के नाम दर्ज किया है। जिस निर्णय के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया है वह अपीलाधीन है। अपीलाधीन आदेश के खिलाफ इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। जब तक आरएए एवं बोर्ड ऑफ रेवन्यू का निर्णय नहीं हो जाता तब तक राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति पूर्ववत ही बनाये रखना चाहिए था। अतः पूर्व की स्थिति बहाल की जावें। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने इस बाबत निम्न नजीरे पेश की है :–

1. आर.आर.डी. 1998 पेज–368–370
2. आर.आर.डी. 2009 पेज– 303–305
3. डब्ल्यू.एल.एन. 2008(3) पेज–(एस.सी.) 23–32
4. डी.एन.जे.(एस.सी.) 2009 पेज–1012–1017
5. नोटिस ऑफ केस–74–78 पेज– 21

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित भूमि सरकारी भूमि थी। मामराज पुत्र कुम्भाराम को उक्त भूमि जीवों के आधार पर 18 बीघा 14 बिस्वा सन् 1954 में आवंटित हुई थी। मामराज के जीवों उसकी पत्नी नत्थी, पुत्रिया रेशमा, भागी, जीवनी थी। मामराज व नत्थी की मृत्यु हो चुकी है। उक्त विवादित भूमि में रेशमा का 1/5 हिस्सा स्वयं का है। मामराज द्वारा रेशमा के हक में अपने हिस्सा की वसीयत की थी। नत्थी पत्नी मामराज के तीन उत्तराधिकारी थे। उक्त विवादित भूमि में उसका हिस्सा भी 1/3 था। एसडीओ श्रीगंगानगर के यहां प्रकरण में Issue No-4 में खातेदार घोषित कर दिया था। आरएए श्रीगंगानगर के यहां अपीलार्थीगण द्वारा एसडीओ श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्व अपील पेश की गई जिसमें उनका स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। एसडीओ श्रीगंगानगर के निर्णय के बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा इजराज लगाई गई। इजराय की पालना में एसडीओ श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर को लिखा गया कि निर्णय की पालना में इनके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। एसडीओ श्रीगंगानगर के निर्णय की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल दर्ज किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की कार्यवाही पूर्णतया विधिक दृष्टि से सही है। यहां इस स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। एसडीओ श्रीगंगानगर का निर्णय / आदेश गलत है तो आरएए श्रीगंगानगर के यहां विचाराधीन अपील में कार्यवाही करें। अतः अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। उक्त नजीरे इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा सहायक न्यायालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.02.2019 की पालना में भरा गया इन्तकाल नम्बर 777 दिनांक 18.03.2019 विधिसम्मत् है जहां तक अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह कहना कि सहायक न्यायालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय में कब्जा दिये जाने के आदेश दिये थे राजस्व

प्रमाणित

रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के नहीं । जब तक राजस्व रिकॉर्ड में जिनको कब्जा दिया जाना उनके नाम दर्ज नहीं होगा तो कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। उक्त इन्तकाल सक्षम न्यायालयो के आगामी होने वाले निर्णयों के अधीन रहेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 01.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर